

प्राचार्य/संस्थाओं के प्रमुख,  
सीबीएसई से संबद्ध स्कूल।

विषय: कक्षा 11 तथा 12 के अंको के मॉडरेशन के लिए पोर्टल खोलने के संबंध में

संदर्भ सीबीएसई/सीई/ 2021 दिनांक 17/06/2021

आपका ध्यान बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन नंबर सीबीएसई/सीई/2021 दिनांक 17/06/2021 से जारी की गई टेबुलेशन पॉलिसी के उपबंध 10 में दी गई कक्षा 11 तथा 12 की मॉडरेशन पॉलिसी की और आकर्षित किया जाता है। पॉलिसी में दी गई समय सारणी के अनुसार कक्षा 12 के मॉडरेशन तथा परिणाम को अंतिम रूप देने के लिए पोर्टल को 16/07/2021 ( दोपहर बाद) से 22/07/2021 ( मध्य रात्रि) तक खोला जा रहा है। जैसा कि बोर्ड को 31/07/2021 तक परिणाम घोषित करना है इसलिए स्कूलों से निवेदन है की समय सीमा का सख्ती से पालन किया जाए तथा मॉडरेशन को समय सीमा के भीतर ही पूरा कर लिया जाए। यदि कोई स्कूल दिए गए समय में मॉडरेशन पूरा करने से रह जाता है तो उसका परिणाम अलग से 31/07/2021 के बाद घोषित किया जाएगा।

यहां फिर से यह कहा जाना अति महत्वपूर्ण है कि इस महामारी के समय हम सबके सामने एक साझा लक्ष्य छात्रों का प्रामाणिक, मान्य तथा निष्पक्ष परिणाम घोषित करना है। कक्षा 11 तथा 12 के अंकों को मॉडरेट करना एक बड़ी जिम्मेवारी रहेगी जिसे प्रामाणिक तथा निष्पक्ष रूप से किया जाना सुनिश्चित करना पड़ेगा। स्कूलों द्वारा पॉलिसी को अलग-अलग रूप से लगाए जाने का या तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या फिर कुछ छात्रों को अनावश्यक लाभ पहुंचेगा। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि रिजल्ट कमेटी अपनी जिम्मेवारी सीबीएसई तथा सभी छात्रों की तरफ से पूरी कर रही है तथा यह केवल एक विद्यालय तक सीमित नहीं है। स्कूलों को इसलिए निर्देशित किया जाता है कि अंको को इस तरह से मॉडरेट किया जाए कि उनके परिणाम समतुल्य रहे तथा किसी भी छात्र को पॉलिसी के, एक ही स्कूल में तथा सभी स्कूलों के बीच में, असमान रूप से लागू करने के कारण किसी प्रकार की हानि ना हो।

स्कूलों की मदद के लिए सीबीएसई ने पिछले तीन वर्षों में सर्वोत्तम प्रदर्शन के आधार पर लिए गए मॉडरेशन के संदर्भ के वर्ष के अंकों को वितरण सहित उपलब्ध कराया है। स्कूलों को फिर से मॉडरेशन करते समय संदर्भ वर्ष के वितरण का पालन करने को निर्देशित किया जाता है। साथ ही उच्च अंकों की रेंज में समतुल्यता तथा निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए, स्कूलों को सम्यक तत्परता का पालन करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि 95 तथा उस से अधिक अंकों की रेंज में कुलकों का गुच्छन नहीं हुआ है। इसलिए उन्हें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि 95 या उस से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र पिछले 3 वर्षों में श्रेष्ठ ऐतेहासिक प्रदर्शन से अधिक नहीं हैं, प्रत्येक स्तर पर कुल 95 अंकों या उस से अधिक अंकों को नियंत्रण करना पड़ेगा।

किसी स्कूल के छात्रों के अंको ( थ्योरी+ प्रैक्टिकल) के वितरण का विस्तृत स्वरूप (कक्षा 10 कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के थ्योरी के अंको का कुल जमा) बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रूप में उपलब्ध कराया गया है

तालिका -अ

विषय : गणित		कक्षा XII - 2020			
अंकों की रेंज (% में)	<33 %	≥33% to 50%	≥50% to 75%	≥75% to 95%	≥95%
दी गई रेंज में कुल छात्रों का %	01%	19%	30%	20%	30%

तालिका -ब

विषय : गणित		कक्षा XII - 2020			
छात्रों की कुल संख्या =200					
अंकों की रेंज (% में)	<33 %	≥33% to 50%	≥50% to 75%	≥75% to 95%	≥95%
छात्रों की संख्या	01% of 200=2	19% of 200=38	30% of 200=60	20% of 200=40	30% of 200=60

स्कूलों को इसलिए अतिरिक्त रूप से निश्चित करना पड़ेगा कि मॉडरेशन के बाद इस वर्ष 95 या उससे अधिक की रेंज में अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या पिछले 3 वर्षों के श्रेष्ठ ऐतिहासिक प्रदर्शन में इतने अंक प्राप्त करने वाले छात्रों से अधिक ना हो।

अंको के मॉडरेशन की प्रक्रिया में स्कूलों की और मदद करने के लिए सीबीएसई द्वारा एक उपयोक्ता के लिए सहूलियत भरा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है जिस के दिशा निर्देश पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस सॉफ्टवेयर के दो भाग होंगे 1. विषय वार मॉडरेशन तथा 2. संपूर्ण मॉडरेशन। स्कूलों को पूरी तालिका प्रदर्शित की जाएगी जिसमें की अंको के सभी हिस्से, जैसे कि कक्षा 10 कक्षा 11 कक्षा 12 तथा प्रैक्टिकल /प्रोजेक्ट/ आंतरिक मूल्यांकन, उपलब्ध होंगे। स्कूलों को मॉडरेशन की प्रक्रिया शुरू करने से पहले दिशानिर्देशों को पढ़ तथा समझ लेना चाहिए। यह भी निश्चित कर लिया जाना चाहिए कि सबमिशन का बटन तभी दबाया जाए जब यह निश्चित हो जाए कि की गई मॉडरेशन 100% सही है।

यदि ऐसा संज्ञान में आता है की स्कूल द्वारा सभी निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो बोर्ड द्वारा परिणाम तैयार करने से पहले, दिए गए अंको को, पॉलिसी के अनुरूप करने के लिए, फिर से मॉडरेट कर दिया जाएगा। यह भी सूचित किया जाता है कि स्कूल द्वारा डाटा में जो भी बदलाव किए जाएंगे उन्हें सीबीएसई द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा। यदि यह पाया गया कि स्कूलों द्वारा पॉलिसी का भाषा तथा भाव की दृष्टि से पालन नहीं किया गया है तो पॉलिसी में दिए गए अनुसार ही स्कूलों के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

ऊपर दिए गए निर्देशों का समय सारणी के अनुसार ही अनुपालन किया जाए।

-हस्ताक्षरित-

(डॉ. संयम भारद्वाज)

परीक्षा नियंत्रक